फाइल सं. ए.12018/42/2018-कुष्ठ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), आस्का ओडिशा में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक समूह 'ख' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), आस्का ओडिशा में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक समूह 'ग' पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 8/12/22

(मनोज कुमार उपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23061640

नई दिल्ली

दिनांक 8/12/22

[भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख.........., 2022

अधिसूचना

सा. का. नि............ - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, (कनिष्ठ हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 2001 का अधिक्रान्त करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिशा में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक (समूह 'ख' पद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का ओडिशा, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स या वेतनमान- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शाक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ।	*01(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अनन्सचिवीय ।	स्तर-6, (35400 - 112400 रु.।	लागू नही होता।	अधिकतम 30 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश या आदेश के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक छूट) टिप्प्ण1: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचलप्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले	अनिवार्य: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री ; अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; अथवा किसी अन्य विषय के अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री। या अंग्रेजी, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी अनिवार्य के रूप में या वैकल्पिक विषय या डिग्री स्तर पर एक परीक्षा के माध्यम के रूप में; अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय के अलावा किसी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में; अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय के अलावा किसी विषय में

					तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अदंमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में अथवा स्नातक स्तर पर दोनों में से एक विषय परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा विषय अनिवार्य विषय के रूप में; और हिन्दी से अंग्रेजी और विपरीत में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्र अथवा राज्य सरकार में हिंदी और अंग्रेजी शिक्षण अथवा हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2: यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सभावना न हो तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी विवेक पर शिथिलनीय है।

पदोन्नति के मामले में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नही होता।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती से नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थितिवश एक वर्ष से अधिक समय के लिए दूर रहने पर हुई रिक्तियों को केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जायेगा जो (क) समकक्ष समकथ पद पर नियमित आधार पर नियुक्त हों और (ख) भर्ती नियम के स्तंभ (7) में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अनुभव और अर्हता रखते हों।	लागू नही होता।	विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि के लिए)जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. उप महानिदेशक (कुष्ठ), स्वा.सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष 2. निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर -सदस्य 3.मुख्य चिकित्सा अधिकारी केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर-सदस्य 4 . क्षेत्र में केन्द्र अथवा राज्य सरकार कार्यालय से कोई राजपत्रित अधिकारी -सदस्य	लागू नही होता।

फा.सं. ए.12018/42/2018-कुष्ठ

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार